

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जनवरी, 2012

संख्या 16/12/2011-3ई०.—चूंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक बी-29012/ई०एस०एस०(सी०पी०ए०)/2010/11224, दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 से निर्देश दिये गए हैं कि फरीदाबाद तथा पानीपत शहरों के लिए इन शहरों में अत्याधिक प्रदूषित औद्योगिक झुंडों में कार्ययोजना के क्रियान्वयन के नियमित रूप से देखने तथा क्रियान्वयन की द्विमासिक समीक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर समिति का गठन किया जाना है।

इसलिए, जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(बी), वायु (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा (18)(1)(बी) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ बढ़ते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल फरीदाबाद तथा पानीपत शहरों के अत्याधिक प्रदूषित औद्योगिक झुंडों में प्रदूषण कम करने के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु स्थानीय समिति का गठन करते हैं तथा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

जिला फरीदाबाद

1. उपायुक्त
2. सम्पदा अधिकारी, हुडा
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर०टी०ए०)
4. कार्यकारी अभियन्ता, (जे०एन०एन०यू०आर०ए०एम०) नगर निगम
5. कार्यकारी अभियन्ता, डिवीजन नं० 1, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग
6. कार्यकारी अभियन्ता (जल सेवाएं डिवीजन, सिंचाई विभाग)
7. उप महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
8. जिला नगर आयोजनाकार (इन्फोर्समेंट एवं प्लानिंग)
9. वन मंडल अधिकारी
10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहली से एक प्रतिनिधि
11. प्रधान, फरीदाबाद औद्योगिक संघ
12. प्रधान, फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं उद्योग
13. एक विशेषज्ञ / गैर सरकारी संगठन
14. श्री गुरमुख सिंह, मकान नं० 877, सेक्टर-15, फरीदाबाद
15. श्री अमर शर्मा सुपुत्र श्री बूचाराग, सरपंच, ग्राम पंचायत शाहूपुरा, जिला फरीदाबाद
16. श्री बी०के० वर्मा, ई-1257, एयर फोर्स रोड, डबुआ कालोनी, एन०आई०टी०, फरीदाबाद
17. श्री श्यामलाल गोयल, आई०पी०एस० (सेवानिवृत्त), मकान नम्बर 22, सेक्टर-15, फरीदाबाद
18. श्री जितेन्द्र भडाना सुपुत्र श्री महीपाल भडाना, गांव लकरपुर, जिला फरीदाबाद
19. डॉ० रामानन्द रस्तोगी सुपुत्र श्री प्रभातीलाल, मकान नं० 646, सेक्टर-22, फरीदाबाद
20. श्री सेवाराम वर्मा, मकान नं० 100, शहीद भगत सिंह कालोनी, तिगांव रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
21. श्री लखन कुमार सिंगला, मकान नं० 761, पुराना फरीदाबाद
22. क्षेत्रीय अधिकारी, फरीदाबाद क्षेत्र, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जिला पानीपत

1. उपायुक्त
2. अतिरिक्त उपायुक्त
3. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
4. सम्पदा अधिकारी, हुडा
5. कार्यकारी अभियन्ता, डिवीजन नं० 1, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग

6. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन नं० 2, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग	सदस्य
7. कार्यकारी अभियन्ता, हुडा	सदस्य
8. सम्पदा अधिकारी, नगर परिषद्	सदस्य
9. उप महाप्रबन्धक, एच०एस०आई०आई०डी०सी० निगम	सदस्य
10. मुख्य प्रबन्धक, एन०एच०ए० आई०, रोहतक	सदस्य
11. कार्यकारी अभियन्ता, पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर० शाखा), प्रोविजनल डिविजन	सदस्य
12. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर०टी०ए०)	सदस्य
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
14. मुख्य अभियन्ता, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन	सदस्य
15. महाप्रबन्धक, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	सदस्य
16. कार्यकारी निदेशक, आईओसी लिमिटेड, पानीपत रिफाइनरी	सदस्य
17. कार्यकारी निदेशक, आईओसी लिमिटेड नाफता, केकर प्रोजेक्ट	सदस्य
18. प्रबन्ध निदेशक, पानीपत सहकारी चीनी मिल	सदस्य
19. प्रधान, पानीपत डायर्ज एसोसियेशन	सदस्य
20. प्रधान, आल इण्डिया वूलन एंड शोड्डी मिल्स एसोसियेशन	सदस्य
21. प्रो० बी०पी० सिंह, कोर्डिनेटर देशबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स एवं टेक्नोलोजी मुरथल, सोनीपत	सदस्य
22. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से प्रतिनिधि	सदस्य
23. श्री हवा सिंह बिजोल, मकान नं० 60, सैक्टर 11, हुडा, पानीपत	सदस्य
24. श्री मोहन सिंगला सुपुत्र श्री रामकरण सिंगला, मकान नं० 15, गौशाला मंडी, गोहाना मोड, पानीपत	सदस्य
25. डॉ० विजय गुप्ता सुपुत्र स्व० श्री यू०टी० गुप्ता, संजीवनी नर्सिंग होम, सुखदेव नगर, पानीपत	सदस्य
26. श्री अनिल मितल सुपुत्र श्री राम कुमार मितल, किसान फाउन्डरी एवं इंजीनियरिंग वर्क्स, जी०टी० रोड, समालखा, जिला पानीपत	सदस्य
27. श्री मुकेश टुटेजा, सुपुत्र श्री ताराचन्द, 724 माडल टाउन, पानीपत	सदस्य
28. श्रीमती शशि लूथरा, मकान नं० 483-आर, माडल टाउन, पानीपत	सदस्य
29. श्री तेजबीर सिंह जगलाना, मकान नं० 9, जाटल रोड, राम सर्विस, पानीपत	सदस्य
30. क्षेत्रीय अधिकारी, पानीपत क्षेत्र, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य सचिव

ये समितियाँ निम्न प्रकार से कार्य करेंगी :-

1. समिति स्थलों पर जाएगी तथा लघुकालीन व दीर्घकालीन कार्ययोजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगी तथा इसके लिए प्रतिवेदन तैयार करेगी।
2. समिति के सभी सदस्य इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे तथा यह प्रतिवेदन द्विमासिक अन्तराल में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा छमाही अंतराल में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्टीयरिंग कमेटी द्वारा की जाएगी।

चण्डीगढ़:

-----, 2011

(हस्ता/-)....,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।